



2026:AHC:64566

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 9491 वर्ष 2026

प्रलाध सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : संध्या चतुर्वेदी

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय सं. - 70

माननीय हरवीर सिंह, न्यायमूर्ति

- आवेदक-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।
- यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक/प्रलाध सिंह की ओर से अपराध संख्या 24 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता 2023 (बी.एन.एस.) की धाराओं 109(1), 352, 351(2), 61(2) और 127(2) के अंतर्गत, थाना औरैया, जिला औरैया में विचारण की लंबितता के दौरान जमानत दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन दबाते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदक-अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसने अभियोजन द्वारा आरोपित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई अपराध नहीं किया है। इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक, दो अन्य नामजद अभियुक्तों और तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है, किंतु, आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है और आवेदक पर कथित फायरिंग की घटना में शामिल नहीं था। देशी निर्मित पिस्तौल की बरामदगी सह-अभियुक्त ऋषभ गौतम के कब्जे से दिखाई गई है। आवेदक के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि वह कथित फायरिंग की घटना की साजिश में शामिल था। घायल ने स्वयं विवेचना अधिकारी के समक्ष दर्ज अपने बयान में कहा है कि आवेदक घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, किंतु कथित घटना आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के इशारे पर हुई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त रवि गुप्ता उर्फ टंटन और ध्रुव सक्सेना को इस न्यायालय की समन्वय पीठ तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.3.2025 और 24.3.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. 7665 वर्ष 2026 और 5840 वर्ष 2026 में पारित आदेशों द्वारा जमानत दी जा चुकी है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक-अभियुक्त इस मामले में दिनांक 10.2.2026 से बिना किसी आपराधिक पूर्ववृत्त के जेल में बंद है और जमानत पर रिहा होने के बाद यह संभावना नहीं है कि वह विधि की प्रक्रिया से भागेगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किंतु वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त रवि गुप्ता उर्फ टंटन और ध्रुव सक्सेना को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

5. पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करते हुए और इस तथ्य के दृष्टिगत कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा घायल के बयान के अनुसार आवेदक कथित घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और एकमात्र आरोप यह है कि कथित घटना आवेदक-अभियुक्त और अन्य सह-अभियुक्तों के इशारे पर हुई; देशी निर्मित पिस्तौल की बरामदगी सह-अभियुक्त ऋषभ गौतम के कब्जे से दिखाई गई; सह-अभियुक्त रवि गुप्ता उर्फ टंटन और ध्रुव सक्सेना को पहले ही जमानत दी जा चुकी है; आवेदक-अभियुक्त इस मामले में दिनांक 10.2.2026 से बिना किसी आपराधिक पूर्ववृत्त के जेल में बंद है तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा विचारित मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

6. उपरोक्त मामले में संलिप्त आवेदक-अभियुक्त/प्रलाध सिंह को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही जांच या विचारण के दौरान गवाहों को डराएगा/दबाव डालेगा।

(ii) आवेदक कोई स्थगन मांगे बिना विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएँ।

मार्च 28, 2026

गुरप्रीत सिंह

(हरवीर सिंह, न्यायमूर्ति)